झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

सं०सं० – 01 / कोर्ट केस(TCDC-09)–12 / 2021 - 1247

प्रेषक,

कमल किशोर सोन,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, रांची।
प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, रांची।
प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, रांची।
प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, रांची।

रांची, दिनांक :– 25/04/2022

विषयः–मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं अन्य योजनाओं के तहत निगमों द्वारा प्रदत ऋण की वसूली के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं अन्य योजनाओं के तहत विभाग अंतर्गत कार्यरत निगमों द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन के युवाओं को स्वरोजगार हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण–सह–अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय संकल्प संख्या–469, दिनांक–22.02.2021 निर्गत है जिसके आलोक में ऋण–सह–अनुदान राशि का वितरण किया जा रहा है।

इसके पूर्व भी केन्द्रीय निगमों से सस्ते दर पर ऋण प्राप्त कर राज्य स्थित विभिन्न निगमों के द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन युवाओं को ऋण प्रदान किया जाता रहा है। परन्तु प्रदत ऋणों की वसूली का प्रतिशत काफी कम रहा है, जो खेदजनक है। ऋण वसूली के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची में दायर वाद WP(c) No. 2473 / 2009 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य मामले में निम्न आदेश पारित किया गया है :– "Considering such submissions, this Court directs learned counsel, Mr. Manish Mishra, G.P-V to file an affidavit duly sworn by the Chief Secretary, Government of Jharkhand explaining that even though there is no interim order passed by this Court, the certificate proceeding are not being concluded by the Certificate Officer causing financial loss to the State, as such, what action has been taken against those Certificate by the Sate of Jharkhand for recovery of such amount."

निकटवर्ती राज्यों में भी ऋण–सह–अनुदान योजना क्रियान्वित की जा रही है जहाँ ऋण वसूली का प्रतिशत काफी अच्छा है। अतः निकटवर्ती राज्यों की ऋण वसूली की प्रक्रिया का अध्ययन करते हुये इस राज्य में भी ऋण वसूली के संबंध में कार्य योजना तैयार कर प्रदत ऋणों की शत–प्रतिशत वसूली सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव।